[To be published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION — 45

New Delhi, the 14 September, 2018

S.O……(E).- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Petroleum and Natural Gas Regulatory Board', New Delhi, a Board constituted by the Government of India, in respect of the following specified income arising to the said Board, namely:--

(a) Grant received from Central Government;
(b) All other grants, fees, penalty charges received;
(c) All sums received from such other sources as may be approved by the Central Government as per section 38 and 39 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006; and
(d) Interest earned on deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, New Delhi,-

(a) shall not engage in any commercial activity;
(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall apply with respect to the assessment years 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 and 2023-2024.

[Notification No. 45 /2018, F.No.300196/6/2018-ITA-I]

V.S. Gautam

(Vinay Sheel Gautam)
Under Secretary to the Government of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Press,
New Delhi.

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना – 45

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर, 2018

का. आ... (अ) –आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु 'पेट्रोलियम और नेचुरल गैस विनियामक बोर्ड' नई दिल्ली, जोकि भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड है, को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में एतदद्वारा अधिसूचित करती है जिस का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(क) केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान;
(ख) अन्य सभी प्राप्त अनुदान, शुल्क, पेनल्टी प्रभार;
(ग) पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस विनियामक बोर्ड अधिनियमन, 2006 की धारा 38 एवं 39 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा यथा अनुमोदित ऐसे सभी अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियां;
(घ) जमा पर अग्रिम ब्याज;

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि 'पेट्रोलियम और नेचुरल गैस विनियामक बोर्ड' नई दिल्ली,'-

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
(ख) विनिर्दिष्ट आय के संबंध में क्रियाकलाप और विशेष आय की प्रकृति, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और
(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्षों 2019-2020, 2020-2021 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के लिए लागू होगी।

(अधिसूचना सं. 45 /2018 फा. सं.300196/6/2018-आईटीए-I)

विनय शील गौतम

(विनय शील गौतम)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी प्रेस, नई दिल्ली